

क्रमांक : RSGSM/HQ/A&P/ESTU

दिनांक 25.11.2016

कार्यालय-आदेश

वित्त विभाग रूल्स डिवीजन के नोटिफिकेशन एफ-6(1)एफ डी रूल्स/2013 पीटी दिनांक 31.08.2016 के तहत राजस्थान सिविल सर्विस (चिकित्सा परिचायक) 2013 के रूल्स 16 के सब-रूल्स (2) में संशोधन कर चिकित्सा पुनर्भरण के तहत राशि 500/- (रु. पाच सौ) से बढ़ा कर 1000/- (रु. एक हजार) की गई है।

अतः कम्पनी के चिकित्सा रूल्स 12.11(5) के तहत ऐलोपैथिक चिकित्सा के अधिकृत चिकित्सक परिचायक रूल्स के, बिना प्रमाणित किये चिकित्सा पुनर्भरण राशि को संशोधित कर 500/- (रु. पाच सौ) से बढ़ा कर राशि 1000/- (रु. एक हजार) किया जाता है।

2/3

महाप्रबन्धक

राज.स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.,
मुख्यालय जयपुर।

प्रतिलिपि :-

1. वित्तीय सलाहकार, आर.एस.जी.एस.एम. लि., मुख्यालय जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, शुगर फैक्ट्री श्रीगंगानगर।
3. कम्पनी सचिव, मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस प्रकरण को प्रोग्रेस रिपोर्ट में जोड़ने का श्रम करें।
4. समस्त अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
5. केन्द्रीय मदिरालय/डिपो
6. नोटिस बोर्ड (मुख्यालय जयपुर, शुगर फैक्ट्री श्रीगंगानगर, समस्त रिडक्शन सेन्टर व डिपो)।
7. मा.फा./स.फा।

2/3

उप महाप्रबन्धक (प्रशा.एव.का.)

2/3